राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 228/प्रा0पत्र/2024 दायरा दिनांक :–27.09.2024

1. लक्ष्मण लाल आ0 बालू जाति दरोगा निवासी ग्राम गोपालपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।
2. ईसर आ0 बालू जाति दरोगा निवासी ग्राम गोपालपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. कन्हैयालाल आ0 बालू जाति दरोगा निवासी ग्राम गोपालपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. कालू आ0 बालू जाति दरोगा निवासी ग्राम गोपालपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. जयलाल आ0 बालू जाति दरोगा निवासी ग्राम गोपालपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. डमरू पुत्री बालू जाति दरोगा निवासी ग्राम गोपालपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
7. नोजी पुत्री बालू जाति दरोगा निवासी ग्राम गोपालपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
8. कन्याबाई पुत्री नाथूलाल जाति दरोगा निवासी ग्राम गोपालपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
9. तगनलाल आ0 नाथूलाल जाति दरोगा निवासी ग्राम गोपालपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
10. पानाबाई पत्नी नाथूलाल जाति दरोगा निवासी ग्राम गोपालपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
11. भंवरलाल आ0 नाथूलाल जाति दरोगा निवासी ग्राम गोपालपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
12. भोजालाल आ0 नाथूलाल जाति दरोगा निवासी ग्राम गोपालपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
13. महेन्द्र आ0 नाथूलाल जाति दरोगा निवासी ग्राम गोपालपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
14. कमला पुत्री श्रीकिशन जाति दरोगा निवासी ग्राम गोपालपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
15. प्रताप आ0 श्रीकिशन जाति दरोगा निवासी ग्राम गोपालपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
16. रामा आ0 श्रीकिशन जाति दरोगा निवासी ग्राम गोपालपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
17. लाड पुत्री श्रीकिशन जाति दरोगा निवासी ग्राम गोपालपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
18. कैलाश आ0 छोटू जाति दरोगा निवासी ग्राम गोपालपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
19. कमलेश आ0 गोपाल जाति दरोगा निवासी ग्राम गोपालपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
20. भंवरलाल आ0 गोपाल जाति दरोगा निवासी ग्राम गोपालपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
21. लालराम आ0 गोपाल जाति दरोगा निवासी ग्राम गोपालपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
22. धापूबाई पत्नी गोपाल जाति दरोगा निवासी ग्राम गोपालपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
23. मोहन आ0 छोटू जाति दरोगा निवासी ग्राम गोपालपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
24. लादू आ0 देवीलाल जाति दरोगा निवासी ग्राम गोपालपुरा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :– श्री सुनिल गौतम
वकील अप्रार्थी :– श्री ऋषभ शर्मा

दिनांक :– 16/04/2025

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता संख्या नया 18 खसरा संख्या 74 रकबा 0.1781 हैक्टेयर, खसरा संख्या 75 रकबा 0.1862 हैक्टेयर, खसरा संख्या 76 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, खसरा संख्या 77 रकबा 0.0486 हैक्टेयर व खसरा संख्या 89/635 रकबा 2.4281 हैक्टेयर कुल रकबा 3.1809 हैक्टेयर ग्राम खेरखटा पटवार मण्डल खेरखटा तहसील हिण्डोली में स्थित है जो कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का 5/133 हिस्सा दर्ज है इसी प्रकार कृषि भूमि खाता संख्या नया 119 खसरा संख्या 72/633 रकबा 1.1331 हैक्टेयर ग्राम खेरखटा पटवार मण्डल खेरखटा तहसील हिण्डोली में स्थित है जो कि वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 में प्रार्थी का 5/133 हिस्सा दर्ज है। कृषि भूमि खाता संख्या नया 21 खसरा संख्या 2 रकबा 0.5989 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3 रकबा 0.04.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4 रकबा 0.5585 हैक्टेयर कुल रकबा 1.1979 हैक्टेयर ग्राम गोपालपुरा हल्का खेरखटा तहसील हिण्डोली में स्थित है जो कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का 1/7 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थना पत्र चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम रामलक्ष्मण आ0 बालू अंकित हो रहा है जबकि प्रार्थी का समस्त दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, एंव बैंक की पासबुक में लक्ष्मण लाल आ0 बालू अंकित हो रहा है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी एवं दस्तावेज दोनों में अलग अलग नाम अंकित होने के कारण प्रार्थी को राज्य सरकार की योजना, कृषि ऋण प्राप्त करने एवं भूमि सुधार से संबंधित कार्य कराने में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। तथा प्रार्थी राज्य सरकार की योजना का लाभ नही उठा पा रहा है। प्रार्थी लक्ष्मण को गांव में रामलक्ष्मण एवं लक्ष्मण लाल दोनों नाम से जानते है इसलिए प्रार्थी के पिता बालू की मृत्यु होने के बाद हल्का पटवारी द्वारा फोती नामान्तकरण में प्रार्थी का नाम लक्ष्मण लाल के स्थान पर रामलक्ष्मण के नाम से नामान्तकरण दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी का नाम समस्त दस्तावेजों में लक्ष्मण लाल दर्ज है। हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी का नाम दस्तावेजों की जॉच किये बिना ही दर्ज कर दिया गया। जिसको राजस्व रिकॉर्ड में दस्तावेजों के आधार पर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी का अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित खातेदारी की कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अपना नाम रामलक्ष्मण के स्थान पर लक्ष्मण लाल दर्ज करावें। न्यायालय श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्यायशुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित खाता संख्या 118 एवं खाता संख्या 119 वाके ग्राम खेरखटा तथा

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

ग्राम गोपालपुरा की कृषि भूमि खाता संख्या 21 पटवार मण्डल खेरखटा तहसील हिण्डोली के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम रामलक्ष्मण के स्थान पर लक्ष्मण लाल आ0 बालू जाति दरोगा दर्ज करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 24 ने जवाब पेश कर प्रार्थी का नाम रामलक्ष्मण के स्थान पर लक्ष्मण आ0 बालू दरोगा अंकित करने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/25/746 दिनांक :–07.04.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम खेरखटा की भूमि खाता संख्या 119, 118 व ग्राम गोपालपुरा के खाता संख्या 21 में दर्ज अपने नाम रामलक्ष्मण पुत्र बालू को शुद्ध करवाकर लक्ष्मणलाल आ0 बालू दर्ज करवाना चाहता है। जिसके संबंध में मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियो/मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा उक्त खाता नम्बर में दर्ज सहखातेदार रामलक्ष्मण पुत्र बालू व लक्ष्मणलाल पुत्र बालू एक ही व्यक्ति के नाम है। जिसको रामलक्ष्मण के स्थान पर लक्ष्मणलाल शुद्ध दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम लक्ष्मणलाल है जिन्हे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, जन–आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक डायरी, पेश किए है जिसमें प्रार्थी का नाम लक्ष्मणलाल आ0 बालू दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम खेरखटा की भूमि खाता संख्या 119, 118 व ग्राम गोपालपुरा पटवार मण्डल खेरखटा के खाता संख्या 21 में दर्ज सहखातेदार रामलक्ष्मण पुत्र बालू के स्थान पर लक्ष्मणलाल पुत्र बालू शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 16.04.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

16/04/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446